

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य से वनग्राम सांकई टोला-II को होशंगाबाद वन मण्डल के इटारसी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-141 एवं 142 में विस्थापित किए जाने हेतु 150.00 हेक्टेयर वनभूमि विस्थापन की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक:

स्थान: भोपाल


 (संजय मोहरीर)
 अपर सचिव
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)